न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–32 सन् 2020

जयपाल सिंह वो अन्य.....वादीगण।

बनाम

सुपनदेव प्रसाद वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 26.07.2022

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दिनांक 09.12.2021 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में नवीन वकालतनामा के साथ प्रतिवादी हाजिरी होकर अपना बयान तहरीरी आज दाखिल कर रहे हैं। उपरोक्त वाद वादीगण के लिए एकपक्षीय साक्ष्य के लिए चल रहा है। उपरोक्त वाद की जानकारी प्रतिवादी को समय पर नहीं हो सकी थी, जिसके कारण प्रतिवादी इस वाद में पूर्व निर्धारित समय पर हाजिर नहीं हो सका। फलतः प्रतिवादी के विरूद्ध तामिला संपुष्ट हो गया और दिनांक 04.02.2021 को वादीगण के एकपक्षीय साक्ष्य के लिए श्रीमान् के द्वारा आदेश कर दिया गया। प्रतिवादी उपरोक्त वाद की जानकारी बाद में हुई क्योंकि इसी बीच न्यायालय का कार्य लॉक डाउन के कारण भी बाधित रहा। प्रतिवादी जानबूझकर हाजिर होने में लापरवाही नहीं किया है बल्कि समय पर उपरोक्त वाद की जानकारी नहीं होने के कारण विलंब हुआ है। अतः निवेदन है कि दिनांक 04.02.2021 वास्ते एकपक्षीय साक्ष्य को रिकॉल करते हुए प्रतिवादी द्वारा आज दाखिल बयान तहरीरी को विलंब माफ करते हुए स्वीकार किया जाए तथा इसे आगे की कार्रवाई हेतु अभिलेख पर रखा जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 20.01.2022 को दाखिल किया गया है, जिसमें उनका कथन है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर नहीं उपस्थित होकर वादी को काफी क्षति पहुंचाई है । आवेदन में कोई उचित कारण नहीं

दर्शाया है। बार बार मौका देने के पश्चात् जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए हैं। वादी द्वारा रजिस्ट्री नोटिस, पेपर प्रकाशन के बाद एकपक्षीय कार्रवाई की गई तथा प्रथम साक्ष्य का परीक्षण हुआ। प्रतिवादी का आवेदन अस्पष्ट, तथ्यहीन, अपूर्ण, अधूरा है जो स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी नवीन वकालतनामा के साथ हाजिरी होकर आज बयान तहरीरी दाखिल कर रहे हैं। परंतु यह वाद वादीगण के लिए एकपक्षीय साक्ष्य पर चला रहा है। प्रतिवादी को काफी समय देने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा उनके विरूद्ध तामिला संपुष्ट हो गया तथा दिनांक 04.02.2021 को वादीगण को एकपक्षीय साक्ष्य के लिए आदेश दिया गया है। प्रतिवादी ने अपने आवेदन में कथन किया है हमने जानबूझकर बयान तहरीरी देने में विलंब नहीं किया है बल्कि वादी की जानकारी नहीं होने के कारण विलंब हुआ है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को 2000/—रूपये खर्चा के साथ दिनांक 04.02.2021 को रिकॉल करते हुए तथा दाखिल बयान तहरीरी को विलंब माफ करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक .....वास्ते धारा 89 पर नियत किया जाता है।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।